छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 73/2006</u>

श्री इन्दर चंद सोनी,
सामाजिक कार्यकर्ता,
जवाहर चौक,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 21 दिसम्बर 2006)

आवेदक श्री इन्दर चंद सोनी निवासी–दुर्ग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, दुर्ग से आवेदन–पत्र दिनांक 20–12–2005 से केबल आपरेटर का व्यवसाय करने वाले रियाज़ खान के कार्यस्थल पर लगाये गये मीटर के संबंध में जानकारी चाही थी। विद्युत मण्डल के द्वारा गलत जानकारी दी गई तथा बतलाया गया कि मीटर आवासीय है, व्यावसायिक प्रयोजन के लिए नहीं है तथा केबल से संबंधित कार्यवाही आबकारी विभाग के द्वारा की जाती है। शिकायतकर्ता ने गलत जानकारी दिये जाने के संबंध में शिकायत की।

2/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया। विद्युत मण्डल की ओर से श्री एस.के.बंड, कनिष्ठ अभियंता ने जवाब प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता ने अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी देना बताया, उसके द्वारा यह भी बताया कि उक्त जानकारी राज्य शाखा के प्रभारी श्री एस.के.डे से प्राप्त जानकारी के आधार पर दी गई। अतः आयोग के द्वारा श्री एस.के.डे को 10,000/– रूपए का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया। श्री डे के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेखों पर आयोग के द्वारा विचार किया गया। विद्युत मण्डल की ओर से जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक ने श्री रियाज़ खान के संबंध में जानकारी चाही थी, जबकि मीटर वास्तव में दिलदार खान के नाम से है। इसके पश्चात् भी विद्युत मण्डल के जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिलदार खान से संबंधित पूरी जानकारी आवेदक को दी गई। विद्युत मण्डल के द्वारा सूचित किया गया कि दिलदार खान के नाम पर घरेलू विद्युत मीटर विगत 30–35 वर्षों से लगा है। केबल आपरेटर का कारोबार संबंधी कोई आवेदन दिलदार खान अथवा

रियाज़ खान ने कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। केबल आपरेटर से संबंधित कार्यवाही आबकारी विभाग के द्वारा की जाती है। किसी भी घर में एम्प्लीफायर लगा होने पर उस परिसर को व्यावसायिक श्रेणी में रखने बाबत् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के द्वारा कोई निर्देश नहीं है। अतः सभी घरों में मण्डल के नियमानुसार बिलिंग की जा रही है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इस संबंध में अधीक्षण यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, दुर्ग से पत्र दिनांक 20–09–2006 के द्वारा मार्गदर्शन भी मांगा गया है। निरीक्षण करते समय भी घरेलू कनेक्शन होना पाया गया तथा घर में दो नग एम्प्लीफायर लगे हुए पाये गये। आवेदक को तत्संबंध में पूर्ण जानकारी दे दी गई। आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि केबल कनेक्शन का कार्य व्यवसाय है, अतः व्यावसायिक प्रयोजन माना जाना चाहिए। इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश नहीं होने के कारण विद्युत मण्डल के अधीक्षण अभियंता, दुर्ग से दिशा–निर्देश मांगे गये। दिशा–निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् आयोग को सहायक अभियंता (राजस्व) दुर्ग राज्य विद्युत मण्डल ने पत्र दिनांक 12–12–2006 से सूचित किया कि राज्य विद्युत मण्डल से प्राप्त निर्देश पत्र दिनांक 20–10–2006 के अनुसार अब संबंधित दिलदार खान के मीटर की बिलिंग गैर–घरेलू दर पर कर दी गई है तथा उसको बिल भी भेज दिया गया है।

3/ प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आवेदक के आवेदन–पत्र के संबंध में आवेदक को वास्तविक जानकारी दी गई। यद्यपि आवेदक ने रियाज़ खान के नाम से लगे हुए मीटर की जानकारी चाही थी, जबकि संबंधित घर में दिलदार खान के नाम का मीटर है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा सद्भावनापूर्वक दिलदार खान के नाम से लगाये गये मीटर से संबंधित पूरी जानकारी दी गई। यह भी स्पष्ट है कि एम्प्लीफायर लगे होने से क्या व्यावसायिक प्रयोजन होता है, इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश नहीं होने से प्रचलित नियमों के अनुसार ही बिलिंग की कार्यवाही की गई। विद्युत मण्डल से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् गैर–घरेलू प्रयोजनों के लिए निर्धारित दर पर बिलिंग की कार्यवाही की गई तथा इसकी जानकारी आवेदक को भी दी गई। जन सूचना अधिकारी एवं श्री एस.के.डे., सहायक यंत्री के द्वारा दी गई जानकारी में कोई भी तथ्य छिपाये नहीं है और न ही भ्रामक जानकारी दिये जाने का आरोप सिद्ध होता है। उनके कार्यालय में उपलब्ध जानकारी आवेदक को दी गई। भ्रामक एवं जानबूझकर त्रुटिपूर्ण जानकारी दिये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। चूँकि आवेदक को जानकारी प्राप्त हो चुकी है, अतः श्री एस.के.डे, सहायक यंत्री को 10,000/– रूपए अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

4/ उपरोक्तानुसार आवेदक की शिकायत की निराकरण हो जाता है तथा प्रकरण में किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

हस्ता0/– 21–12–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त